

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं.-0755-2552899 ई-मेल mpprd.finance@mp.gov.in
क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2020-21/107 भोपाल, दिनांक 04/01/2021
प्रति,

प्राचार्य,
पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र,
नौगांव (छतरपुर), मुलताई (बैतूल), शिवपुरी, राऊ(इन्दौर)
मध्यप्रदेश।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मांग संख्या-62 में पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रो हेतु योजना क्रमांक-2468 अन्तर्गत चतुर्थ त्रैमास हेतु बजट आवंटन बाबत।

-00-

पंचायत राज संचालनालय अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मजदूरी एवं कार्यालयीन व्ययों की मद का आवंटन जारी किया जा रहा है।

तदानुसार स्वीकृति के तारतम्य में पंचायतराज संचालनालय के अंतर्गत प्राचार्य सचिव प्रशिक्षण केन्द्र के आहरण संवितरण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में चतुर्थ त्रैमान्तक व्यय के लिए संलग्न परिशिष्ट अनुसार संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं को उनके नाम के समक्ष अंकित मद अनुसार कुल राशि 321300/- (राशि-तीन लाख इक्कीस हजार तीन सौ मात्र) का आवंटन जारी किया जाता है।

उक्त व्यय मांग संख्या-62-शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-2468-पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था-9999 के उद्देश्य शीर्ष 11, 12 एवं 22 के अंतर्गत विकलनीय होगा।


तदानुसार सौंपे गए आवंटन एवं तदसंबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-

- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आवंटन से अधिक न किया जावे।
- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।

निरंतर...

- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिर्वायतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।
- (4) संचालनालय द्वारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का अनुमान का आकलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड़-2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आवंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आवंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती हैं, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


संलग्न :- परिशिष्ट


 संयुक्त संचालक(वित्त)
 पंचायत राज संचालनालय
 मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2020-21/ 108
 प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 04/01/2021

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, पं0ग्रा0वि0 विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला(संबंधित) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-जिला संबंधित म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक/उप संचालक(प्रशिक्षण)पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
8. संबंधित, कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ। सौंपे गये आवंटन के विरुद्ध बंटन आदेशानुसार व्यय सुनिश्चित करें।
9. निज सहायक, आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।


 संयुक्त संचालक(वित्त)
 पंचायत राज संचालनालय
 मध्यप्रदेश


पंचायत राज संचालनालय म0प्र0भोपाल

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-62-(आयोजनेत्तर)-2515-योजना क्रमांक-2468-पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था में आवंटित राशि का विवरण मूल बजट प्रावधान अनुसार

(राशि रुपये में)

क्र.	मद का नाम	बजट प्रावधान	उपलब्ध बजट	चतुर्थ त्रैमास हेतु जारी आवंटन				
				संस्था का नाम - पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र				
				मुलताई(बितूल) 0302203001	शिवपुरी 3902602002	नौगांव(छतरपुर) 0602602003	राऊ(इन्दौर) 1702203001	कुल आवंटित राशि
आबंटित राशि	आबंटित राशि	आबंटित राशि	आबंटित राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	# 11 009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	35000	35000	2625	2625	2625	2625	10500
2	# 12 मजदूरी	1000000	1000000	75000	75000	75000	75000	300000
3	# 22 001-डाक एवं तार व्यय	20000	20000	1500	1500	1500	1500	6000
4	# 22 004-पुस्तके एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	5000	5000	375	375	375	375	1500
5	# 22 006-वर्दिया	10000	8000	600	600	600	600	2400
6	# 22 007-लेखन सामग्री एवं फार्म	3000	3000	225	225	225	225	900
7	# 22 008-अन्य आकस्मिक व्यय	1000	800	0	0	0	0	0
योग		1074000	1071800	80325	80325	80325	80325	321300


 संयुक्त संचालक(वित्त)
 पंचायत राज संचालनालय
 म.प्र.भोपाल